(2)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सुनील विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम, जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 13/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुनिल विश्नोई, पता सी–6, सूर्या कॉलानी के सामने, पी.डब्लू.डी कॉलानी, रजिडेन्सी रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.11.17 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत मोरिया जिला जोधपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के लिए फण्ड स्कीम के तहत वर्ष 2012–2017 के दौरान एम.एल.ए. एवं एम.पी. विकास फण्ड में स्वीकृत कार्यो की व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा ़ नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 58 दिनांक 25.01.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर जिला परिषद, जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 6(3) के तहत अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 1574 दिनांक 21.11.2017 के द्वारा अन्तरित करते हुए प्रार्थी को जरिये पत्रांक 1575 दिनांक 21.11.17 से सूचित किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी ने विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी (अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर) को स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा इसकी सूचना प्रार्थी को भी दी गई। जिला परिषद जोधपुर के लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना नहीं दी गई है, या दी गई सूचना से कोई व्यक्ति व्यथित है, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी **प्रमुख**, जिला परिषद जोधपुर के समक्ष अपील पेश करने का प्रावधान है अतः अपीलार्थी सक्षम प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।